



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेश हिल्स, भोपाल

क्र./6218 / MGNREGS-MP / 16

भोपाल, दिनांक 08 जुलाई, 2016

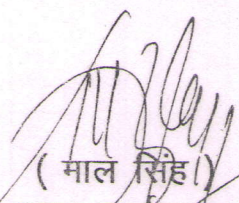
प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)
जिला-समस्त मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)
जिला पंचायत-समस्त मध्यप्रदेश।

विषय:-दिनांक 04.07.2016 को आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश के पालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 04.07.2016 को भारत शासन के संयुक्त सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग में निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं जिनका कि फिल्ले लेवल पर तत्काल पालन किया जावे :-

1. Fix Assets Ragister नियत प्रारूप में तैयार किये जाये। इस संबंध में पूर्व में पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।
2. श्रमिकों को प्रदाय किये गये जॉब कार्ड्स का सत्यापन (Verification) एवं अधतीकरण (Updation) किया जाये।
3. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के पास समुचित रूप से कार्य का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होना सुनिश्चित करें।
4. अपूर्ण कार्यों का परीक्षण कर पूर्ण करने का अभियान चलाकर पूर्ण किया जावे।
5. वर्ष 2015-16 का ऑडिट तत्काल प्रारंभ किया जाकर 15 जुलाई तक पूर्ण कराया जावे।
6. आधार Seeding हेतु सहमति पत्र बैंकों में जमा कराने की कार्यवाही अविलंब पूर्ण किया जाये।


(माल सिंह)
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.) 06/7/16